Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 102-2026/Ext.] चण्डीगढ़, वीरवार, दिनांक 2 जुलाई, 2026
(11 आषाढ, 1948 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग–I	**अधिनियम**	
	कुछ नहीं	
भाग–II	**अध्यादेश**	
	कुछ नहीं	
भाग–III	**प्रत्यायोजित विधान**	
	अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 11/संवि०/अनु० 309/2026, दिनांक 02 जुलाई, 2026– हरियाणा उच्चतर शिक्षा विभाग, उप–कार्यालय, महाविद्यालय संवर्ग (ग्रुप ख) सेवा नियम, 2026।	171—186
भाग–IV	**शुद्धि पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन**	
	कुछ नहीं	

भाग–III

हरियाणा सरकार

उच्चतर शिक्षा विभाग

अधिसूचना

दिनांक 2 जुलाई, 2026

संख्या सा०का०नि० 11/संवि०/अनु० 309/2026.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा उच्चतर शिक्षा विभाग, उप–कार्यालय, महाविद्यालय संवर्ग (ग्रुप ख) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा शर्तों को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

भाग I–सामान्य

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

1. (1) ये नियम हरियाणा उच्चतर शिक्षा विभाग, उप–कार्यालय, महाविद्यालय संवर्ग (ग्रुप ख) सेवा नियम, 2026 कहे जा सकते हैं।

(2) ये इनके राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

परिभाषाएं।

2. इन नियमों में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,––

(क) **"प्रशासनिक सचिव"** से अभिप्राय है, अपर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, उच्चतर शिक्षा विभाग, जैसी भी स्थिति हो ;

(ख) **"आयोग"** से अभिप्राय है, हरियाणा लोक सेवा आयोग;

(ग) **"निदेशक"** से अभिप्राय है, महानिदेशक या निदेशक उच्चतर शिक्षा, हरियाणा, जैसी भी स्थिति हो;

(घ) **"सरकार"** से अभिप्राय है, प्रशासनिक विभाग में हरियाणा राज्य की सरकार ;

(ङ) **"संस्था"** से अभिप्राय है,–

(i) हरियाणा राज्य में लागू विधि द्वारा स्थापित कोई संस्था; या

(ii) इन नियमों के प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त कोई अन्य संस्था;

(च) **"मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय"** से अभिप्राय है,–

(i) भारत में विधि द्वारा निगमित कोई विश्वविद्यालय; या

(ii) कोई अन्य विश्वविद्यालय, जो इन नियमों के प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय घोषित किया गया हो; तथा

(छ) **"सेवा"** से अभिप्राय है, हरियाणा उच्चतर शिक्षा विभाग, उप–कार्यालय, महाविद्यालय संवर्ग (ग्रुप ख) सेवा ।

भाग–II–सेवा में भर्ती

पदों की संख्या तथा उनका स्वरूप।

3. सेवा में इन नियमों के परिशिष्ट क में दर्शाये गए पद समाविष्ट होंगेः

परन्तु इन नियमों की कोई भी बात ऐसे पदों की संख्या में वृद्धि या कमी करने या विभिन्न पदनामों और वेतनमानों वाले नए नियमित पद बनाने के सरकार के अन्तर्निहित अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी।

सेवा में नियुक्त किए गए उम्मीदवारों की राष्ट्रीयता, अधिवास तथा चरित्र।

4. (1) किसी भी व्यक्ति को सेवा में किसी भी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि वह निम्नलिखित न हो;–

(क) भारत का नागरिक, या

(ख) नेपाल की प्रजा, या

(ग) भूटान की प्रजाः

परन्तु प्रवर्ग (ख) या (ग) से संबंधित किसी प्रवर्ग का व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति होगा, जिसके पक्ष में सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो।

(2) किसी भी व्यक्ति, जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक हो, उसे आयोग या किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा संचालित परीक्षा या साक्षात्कार के लिए प्रविष्ट किया जा सकता है, किन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव केवल सरकार द्वारा उसे पात्रता का आवश्यक प्रमाण–पत्र जारी किए जाने के बाद ही दिया जा सकता है।

(3) किसी भी व्यक्ति को सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक वह अपने अन्तिम उपस्थिति के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था, यदि कोई हो, के प्रधान शैक्षणिक अधिकारी से चरित्र प्रमाण–पत्र और दो ऐसे अन्य जिम्मेवार व्यक्तियों से, जो उसके सम्बन्धी न हों, किन्तु उसके व्यक्तिगत जीवन में उससे भली–भांति परिचित हों और जो उसके विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय, या संस्था से सम्बन्धित न हों, उसी प्रकार के प्रमाण–पत्र प्रस्तुत न करें।

नियुक्ति प्राधिकारी।

5. सेवा में पद पर नियुक्ति सरकार द्वारा की जाएगी।

योग्यताएं तथा अनुभव ।

6. किसी भी व्यक्ति को सेवा में किसी भी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि वह इन नियमों के परिशिष्ट ख के खाना 3 में विनिर्दिष्ट योग्यताएं तथा अनुभव न रखता हो।

अयोग्यताएं।

7. कोई भी व्यक्ति,–

(क) जिसने जीवित पति/पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है; या

(ख) जिसने पति/पत्नी के जीवित होते हुए, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है,

सेवा में किसी भी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यदि सरकार की संतुष्टि हो जाए कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य आधार भी है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने से छूट दे सकती है।

भर्ती का ढंग।

8. (1) सेवा में भर्ती निम्नलिखित ढंग से की जाएगी–

(क) अधीक्षक की दशा में,–

(i) उप अधीक्षक या सहायक में से पदोन्नति द्वारा; या

(ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानांतरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(2) सभी पदोन्नतियां, जब तक अन्यथा उपबन्धित न हो, ज्येष्ठता एवं योग्यता के आधार पर की जाएंगी और केवल ज्येष्ठता ही ऐसी पदोन्नतियों के लिए कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

परिवीक्षा।

9. (1) सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त व्यक्ति, यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो दो वर्ष की अवधि के लिए और यदि वह अन्यथा नियुक्त किया गया हो, तो एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा (अवकाश अवधि, यदि कोई हो, को छोड़कर):

परन्तु–

(क) ऐसी नियुक्ति के बाद किसी अनुरूप या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर व्यतीत की गई कोई अवधि, परिवीक्षा की अवधि में गिनी जाएगी;

(ख) स्थानांतरण द्वारा नियुक्ति के मामले में, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति से पहले किसी समकक्ष अथवा उच्चतर पद पर किए गए कार्य की कोई अवधि नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर इस नियम के अधीन नियत परिवीक्षा अवधि में गिनने की ओर अनुज्ञात होगी; और

(ग) स्थानांतरण नियुक्ति की कोई अवधि परिवीक्षा पर व्यतीत की गई अवधि के रूप में गिनी जाएगी, किन्तु इस प्रकार स्थानापन्न रूप में कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति परिवीक्षा की विहित अवधि के पूरा होने पर, यदि वह किसी नियमित रिक्ति पर नियुक्त न किया गया हो, तो पुष्ट किए जाने का हकदार नहीं होगा।

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, परिवीक्षा की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति का कार्य या आचरण सन्तोषजनक न रहा हो, तो वह,–

(क) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया है, तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है; और

(ख) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो,–

(i) उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है; या

(ii) उसके संबंध में किसी ऐसी अन्य रीति में कार्रवाई कर सकता है, जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबंधन तथा शर्तें अनुज्ञात करें।

(3) किसी व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर नियुक्ति प्राधिकारी,–

(क) यदि उसकी राय में उसका कार्य या आचरण सन्तोषजनक रहा हो तो,–

(i) ऐसे व्यक्ति को नियमित रिक्ति पर उसकी नियुक्ति की तिथि से पुष्ट कर सकता है; या

(ii) यदि नियमित रिक्ति नहीं है, तो घोषित कर सकता है कि उसने अपनी परीवीक्षा संतोषजनक पूरी कर ली है; या

(ख) यदि उसका कार्य या आचरण उसकी राय में, सन्तोषजनक न रहा हो तो,–

(i) यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया है, तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है तथा यदि अन्यथा नियुक्त किया हो, तो उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है या उसके सम्बन्ध में ऐसी अन्य रीति में कार्रवाई कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबंधन तथा शर्तें अनुज्ञात करें; या

(ii) उसकी परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकता है और उसके बाद ऐसा आदेश पारित कर सकता है, जो परिवीक्षा की प्रथम अवधि की समाप्ति कर सकता थाः

परन्तु परिवीक्षा की कुल अवधि, जिसमें बढ़ाई गई अवधि, यदि कोई है, भी शामिल है, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

ज्येष्ठता।

10. (1) सेवा के सदस्यों की परस्पर ज्येष्ठता, सेवा में किसी भी पद पर उनके लगातार सेवाकाल के अनुसार निश्चित की जाएगीः

परन्तु जहां सेवा में विभिन्न संवर्ग हों, वहां ज्येष्ठता प्रत्येक संवर्ग के लिए अलग–अलग निश्चित की जाएगीः

परन्तु यह और कि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्यों के मामले में, ज्येष्ठता नियत करते समय आयोग द्वारा निर्धारित योग्यता क्रम भंग नहीं किया जाएगाः

परन्तु यह और कि एक ही तिथि को नियुक्त दो या दो से अधिक सदस्यों के मामले में उनकी ज्येष्ठता निम्नलिखित रूप से निश्चित की जाएगी,–

(क) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य, पदोन्नति या स्थानांतरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा;

(ख) पदोन्नति द्वारा नियुक्त सदस्य स्थानांतरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा;

(ग) पदोन्नति अथवा स्थानांतरण द्वारा नियुक्त सदस्यों के मामले में उनकी ज्येष्ठता ऐसी नियुक्तियों में ऐसे सदस्यों की ज्येष्ठता के अनुसार निश्चित की जाएगी, जिनसे वे पदोन्नत या स्थानान्तरित किए गए थे; और

(घ) विभिन्न संवर्गों से स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों के मामले में, उनकी ज्येष्ठता वेतन के अनुसार निश्चित की जाएगी, अधिमान ऐसे सदस्य को दिया जाएगा, जो अपनी पहले की नियुक्ति में उच्चतर दर पर वेतन ले रहा था, और यदि मिलने वाले वेतन की दर भी समान हो, तो उनकी नियुक्तियों में उनके सेवाकाल के अनुसार और यदि सेवाकाल भी समान हो, तो आयु में बड़ा सदस्य छोटे सदस्य से ज्येष्ठ होगा।

सेवा करने का दायित्व।

11. (1) सेवा का कोई भी सदस्य, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा हरियाणा राज्य में अथवा उसके बाहर किसी भी स्थान पर सेवा करने के लिए आदेश दिए जाने पर ऐसा करने के लिए दायी होगा।

(2) सेवा के किसी भी सदस्य को सेवा के लिए निम्नलिखित के अधीन भी प्रतिनियुक्ति किया जा सकता है –

(i) किसी कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियन्त्रण राज्य सरकार के पास है, हरियाणा राज्य के भीतर, नगर निगम या स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालय; या

(ii) केन्द्रीय सरकार या ऐसी कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण केन्द्रीय सरकार के पास हो; या

(iii) कोई अन्य राज्य सरकार, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, स्वायत निकाय, जिसका नियंत्रण सरकार के पास न हो अथवा गैर सरकारी निकायः

परन्तु सेवा के किसी भी सदस्य को उसकी सहमति के बिना खण्ड (ii) अथवा खण्ड (iii) में विनिर्दिष्ट केन्द्रीय या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी संगठन या निकाय में सेवा करने के लिए प्रतिनियुक्त नहीं किया जाएगा।

वेतन, छुटटी, पेंशन तथा अन्य मामले।

12. वेतन, छुट्टी, पेंशन तथा सभी अन्य मामलों के सम्बन्ध में, जिनका इन नियमों में स्पष्ट रूप से उपबन्ध नहीं किया गया है, सेवा के सदस्य ऐसे नियमों तथा विनियमों द्वारा शासित होंगे जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा भारत के संविधान के अधीन अथवा राज्य विधानमण्डल द्वारा बनाई गई तत्समय लागू किसी विधि के अधीन बनाए गए हों अथवा इसके द्वारा बनाए जाएं:

परन्तु हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2016 (मृत्यु एवं सेवानिवृत उपदान के उपबंधों को छोड़कर), सेवा के उन सदस्यों पर लागू नहीं होंगे, जो प्रथम जनवरी, 2006 या उसके बाद नियुक्त किए गए हों।

अनुशासन, शास्तियां तथा अपीलें।

13. (1) अनुशासन, शास्तियां तथा अपीलों से सम्बन्धित मामलों में सेवा के सदस्य समय–समय पर, यथा संशोधित हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 द्वारा शासित होंगे:

परन्तु ऐसी शास्तियों का स्वरूप, जो लगाई जा सकती हैं, ऐसी शास्तियां लगााने के लिए सशक्त प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाई गई किसी विधि या नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए वे होंगे, जो इन नियमों के परिशिष्ट (ग) में विनिर्दिष्ट हैं।

(2) हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 के नियम 9 के खण्ड (ग) या (घ) या (च) के अधीन आदेश करने के लिए सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी वह होगा जो इन नियमों के परिशिष्ट (घ) में विनिर्दिष्ट है।

टीका लगवाना।

14. सेवा का प्रत्येक सदस्य स्वयं को टीका लगवाएगा तथा जब कभी सरकार किसी विशेष या साधारण आदेश द्वारा ऐसा निर्देश करे, पुनः टीका लगवाएगा ।

राजनिष्ठा की शपथ।

15. सेवा के प्रत्येक सदस्य से, जब तक उसने पहले ही भारत के प्रति तथा विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति राजनिष्ठा की शपथ न ले ली हो, ऐसा करने की अपेक्षा की जाएगी।

ढील देने की शक्ति।

16. जहां सरकार की राय में, इन नियमों के किसी भी उपबन्ध में ढील देना आवश्यक या समीचीन हो, वहां यह कारणों को लिपिबद्ध करके आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के बारे में ऐसा कर सकती है।

विशेष उपबन्ध।

17. इन नियमों में दी गई किसी बात के होते हुए भी, नियुक्ति प्राधिकारी, यदि वह पदोन्नति/नियुक्ति आदेश में विशेष निबन्धन तथा शर्तें लगाना उचित समझे, तो वह ऐसा कर सकता है।

आरक्षण।

18. इन नियमों में दी गई कोई भी बात भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 के खण्ड (4) के अधीन राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय–समय पर, जारी किए गए आदेशों के अनुसार वंचित अनुसूचित जातियों, अन्य अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, दिव्यांगजनों या व्यक्तियों के किसी अन्य वर्ग या प्रवर्ग को दिए जाने के लिए अपेक्षित आरक्षणों तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी।

परिशिष्ट क

(देखिए नियम 3)

क्रम संख्या	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान
1	2	3	4
1.	अधीक्षक	10	वृतिमूलक वेतन स्तर–7, सैल–1 = 44900/- (44900–1,42400/– रूपए)

परिशिष्ट ख

(देखिए नियम 6)

क्रम संख्या	पदनाम	सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो
1	2	3
1.	अधीक्षक	पदोन्नति द्वारा– उप–अधीक्षक के रूप में एक वर्ष का अनुभव अथवा सहायक के रूप में दस वर्ष का अनुभव। स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा– (i) अधीक्षक के रूप में एक वर्ष का अनुभव; (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक; (iii) मैट्रिक में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत अथवा उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी।

परिशिष्ट ग

[देखिए नियम 13(1)]

क्रम संख्या	पदनाम	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्ति का स्वरूप	शास्ति लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6
1	अधीक्षक	सरकार	(i) छोटी शास्तियां – हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 में यथा विहित।	निदेशक	सरकार
			(ii) बड़ी शास्तियां– हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 में यथा विहित।	सरकार	———

परिशिष्ट घ

[देखिए नियम 13(2)]

क्रम संख्या	पदनाम	शास्ति का स्वरूप	शासित करने के लिए सशक्त प्राधिकारी
1	2	3	4
1	अधीक्षक	(i) पेंशन को शासित करने वाले नियमों के अधीन अनुज्ञेय पेंशन की राशि में कमी करना या रोकना; (ii) सेवा की समाप्ति; (iii) सेवा के सदस्य की अधिवर्षिता की आयु पूरी होने से पूर्व लोकहित में समयपूर्व सेवानिवृत्ति।	सरकार

ए. के. सिंह,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
उच्चतर शिक्षा विभाग, चंडीगढ़।

HARYANA GOVERNMENT

HIGHER EDUCATION DEPARTMENT

Notification

The 2nd July, 2026

No. G.S.R.11/Const./Art.309/2026.— In exercise of the powers conferred under the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules regulating the recruitment and conditions of service of persons appointed to the Haryana Higher Education Department, Sub-Offices College Cadre (Group B) Service, namely:-

PART I-GENERAL

Short title and commencement.

1. (1) These rules may be called the Haryana Higher Education Department, Sub-Offices College Cadre (Group B) Service Rules, 2026

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

Definitions.

2. In these rules, unless the context otherwise requires;-

(a) **"Administrative Secretary"** means the Additional Chief Secretary or Principal Secretary to Government, Haryana, Higher Education Department, as the case may be;

(b) **"Commission"** means the Haryana Public Service Commission;

(c) **"Director"** means the Director General or Director Higher Education Department, Haryana, as the case may be;

(d) **"Government"** means the Government of the State of Haryana in the administrative department;

(e) **"institution"** means-

(i) any institution established by law in force in the State of Haryana; or

(ii) any other institution recognized by the Government for the purpose of these rules;

(f) **"recognized university"** means-

(i) any university incorporated by law in India; or

(ii) any other university which is declared by the Government to be a recognized university for the purposes of these rules; and

(g) **"Service"** means the Haryana Education Department, Sub-Offices College Cadre (Group B) Service.

Part II-Recruitment to Service

Number and character of posts.

3. The Service shall comprise the posts shown in Appendix-A to these rules:

Provided that nothing in these rules shall affect the inherent right of the Government to make additions to, or reduction in, the number of such posts or to create new regular posts with different designations and scales of pay.

Nationality, domicile and character of candidates appointed to service.

4. **(1)** No person shall be appointed to any post in the Service, unless he is-

(a) a citizen of India; or

(b) a subject of Nepal; or

(c) a subject of Bhutan:

Provided that a person belonging to any of the categories (b) or (c) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government.

(2) A person in whose case a certificate of eligibility is necessary, may be admitted to an examination or interview conducted by the commission or any other recruiting authority but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government.

(3) No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment, unless he produces a certificate of the character from the principal academic officer of the university, college, school or institution, last attended, if any, and similar certificate from two other responsible persons, not being his relatives, who are well acquainted with him in his private life and are unconnected with his university, college, school or institution.

Appointing authority.

5. Appointments to the posts in the Service shall be made by the Government.

Qualification and experience.

6. No person shall be appointed to any post in the Service unless he is in possession of qualifications and experience specified in column 3 of Appendix-B to these rules:

Disqualifications.

7. No person;-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any post in the service:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to marriage and there are other grounds for so doing, exempt any such person from the operation of this rule.

Method of recruitment.

8. (1) Recruitment to the Service shall be made;-

(a) In case of Superintendent,-

(i) by promotion from amongst Deputy Superintendent or Assistant; or

(ii) by transfer or deputation of an officer/official already in the service of any State Government or the Government of India.

(2) All promotions unless otherwise provided shall be made on seniority-cum-merit basis and seniority alone shall not confer any right to such promotions.

Probation.

9. (1) Persons appointed to any post in the Service shall remain on probation for a period of two years, if appointed by direct recruitment and one year, if appointed otherwise (excluding the period of leave availed, if any):

Provided that-

(a) any period after such appointment spent on deputation on a corresponding or a higher post shall counted towards the period of probation;

(b) any period of work in equivalent or higher rank, prior to appointment to the Service may, in the case of an appointment by transfer, at the discretion of the appointing authority, be allowed to count towards the period of probation fixed under this rule; and

(c) any period of officiating appointment shall be reckoned as period spent on probation, but no person who has so officiated shall, on the completion of the prescribed period of probation, been entitled to be confirmed, unless he is appointed against a regular vacancy.

(2) If, in the opinion of the appointing authority, the work or conduct of a person during the period of probation is not satisfactory, it may;-

(a) if such person is appointed by direct recruitment, dispense with his Services; and

(b) If such person is appointed otherwise than by direct recruitment,-

(i) revert him to his former post; or

(ii) deal with him in such other manner as the terms and conditions of his previous appointment permit.

(3) On the completion of the period of probation of a person, the appointing authority may;-

(a) if his work and conduct has, in its opinion, been satisfactory,-

(i) Confirm such person from the date of his appointment, if appointed against a regular vacancy; or

(ii) Declare that he has completed his probation satisfactory, if there is no regular vacancy; or

(b) if his work or conduct has, in its opinion, been not satisfactory

(i) dispense with his Service, if appointed by direct recruitment, and if appointed otherwise, revert him to his former post or deal with him in such other manner, as the terms and conditions of his previous appointment permit; or

(ii) extend his period of probation and thereafter pass such orders as it could have passed on the expiry of the first period of probation:

Provided that the total period of probation, including extension, if any, shall not exceed three years.

Seniority

10. Seniority, inter se of the members of the Service, shall be determined by the length of continuous service on any post in the Service:

Provided that where there are different cadres in the Service, the seniority shall be determined separately for each cadre:

Provided further that in the case of members appointed by direct recruitment, the order of merit determined by the Commission shall not be disturbed in fixing the seniority:

Provided further that in the case of two or more members appointed on the same date, their seniority shall be determined as follows;--

(a) a member appointed by direct recruitment shall be senior to a member appointed by promotion or by transfer;

(b) a member appointed by promotion shall be senior to a member appointed by transfer;

(c) in the case of members appointed by promotion or by transfer, seniority shall be determined according to the seniority of such members in the appointments from which they were promoted or transferred; and

(d) In the case of members appointed by transfer from different cadres, their seniority shall be determined according to pay, preferences being given to a member, who was drawing a higher rate of pay in his previous appointment; and if the rates of pay drawn are also the same, then by the length of their service in the appointments, and if the length of such service is also the same, the older member shall be senior to the younger member.

Liability to serve.

11. (1) A member of the Service shall be liable to serve at any place whether within or outside the State of Haryana, on being ordered so to do by the appointing authority.

(2) A member of the Service may also be deputed to serve under-

(i) a company, an association or a body of individual whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the State Government, a municipal corporation a local authority or university within the State of Haryana;

(ii) the Central Government or a company, an association or a body of individuals, whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Central Government; or

(iii) any other State Government, an international organization, an autonomous body not controlled by the Government, or a private body:

Provided that no member of the Service shall be deputed to serve the Central or any other State Government or any organization or body referred to in clause (ii) or clause (iii) except with his consent.

Pay, leave, pension and other matters.

12. In respect of pay, leave, pension and all other matters, not expressly provided for in these rules, the member of the Service shall be governed by such rules and regulations, as may have been, or may hereafter be made by the competent authority under the Constitution of India or under any law for the time being in force made by the State Legislature:

Provided that the Haryana Civil Services (Pension) Rules, 2016 (except the provision of death-cum-retirement gratuity) shall not be applicable to those members of service who are appointed on or after the 1st January, 2006.

Discipline, penalties and appeals.

13. (1) In matters relating to discipline, penalties and appeals, members of the Service shall be governed by the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 2016, as amended from time to time:

Provided that the nature of penalties which may be imposed, the authority empowered to impose such penalties and appellate authority shall, subject to the provisions of any law or rules made under article 309 of the Constitution of India, be such as are specified in Appendix C to these rules.

(2) The authority competent to pass an order under clause (c) or clause (d) or clause (f) of Rule 9 of the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 2016 and appellate authority shall such as specified in Appendix-D to these rules.

Vaccination.

14. Every member of the Service shall get himself vaccinated or re-vaccinated at any time when so directed by the Government by general or specified order.

Oath of allegiance.

15. Every member of the Service, unless he has already done so, shall be required to take the oath of allegiance to India and to the Constitution of India, as established by law.

Power of relaxation.

16. Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

Special provision.

17. Notwithstanding anything contained in these rules, the appointing authority may impose special terms and conditions in the order of promotion/appointment, if it is expedient to do so.

Reservation.

18. Nothing contained in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for Deprived Scheduled Castes, Other Scheduled Castes, Backward Class, Ex-Servicemen, Physically Handicapped persons or any other class or category of persons in accordance with the orders issued by the State Government in this regard from time to time under clause (4) of article 16 of the Constitution of India.

APPENDIX-A

(See rule 3)

Serial Number	**Designation of Post**	**Number of Posts**	**Scale of Pay**
1	2	3	4
1.	Superintendent	10	Functional Pay Level-7, Cell-1 (Rs.44900-142400/-)

APPENDIX-B

(See Rule 6)

Serial Number	**Designation of post**	**Academic qualifications and experience, if any, for appointment other than by direct recruitment**
1	2	3
1.	Superintendent	By promotion- One year experience as Deputy Superintendent or having 10 years experience as an Assistant. By transfer or deputation- (i) One year experience as Superintendent; (ii) Graduation from any recognized university ; and (iii) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Hindi as one of the subject in higher education.

Appendix-C

[see rule 13(1)]

Serial Number	**Designation of post**	**Appointing authority**	**Nature of penalty**	**Authority empowered to impose penalty**	**Appellate authority**
1	2	3	4	5	6
1	Superintendent	Government	**1. Minor Penalties -** As prescribed in the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 2016; **2. Major Penalties** As prescribed in the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 2016.	Director Government	Government ----------

APPENDIX-D

[see rule 13(2)]

Serial Number	Designation of post	Nature of order	Authority empowered to make the order
1.	Superintendent	(i) reducing or withholding the amount of pension admissible under the rules governing pension; (ii) termination of Service; (iii) premature retirement of a member of the service in public interest before attaining the age of superannuation.	Government

A. K. SINGH,
ADDITIONAL CHIEF SECRETARY TO GOVERNMENT HARYANA,
HIGHER EDUCATION DEPARTMENT, CHANDIGARH.

12718—L.R.—H.G.P., Pkl.